ऑनलाइन अपलोड/विशेषवाहक द्वारा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक– 2344/ 1 सी0 वन दिनांक 22/12 /2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **चमोली के अन्तर्गत बौला–श्रीकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.32 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु–परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्रांक संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/202/2015/एफ0सी0/2178 दिनांक 17.1.2019**

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि बौला–श्रीकोट मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पर भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियो का निराकरण कर बिन्दुवार ऑख्या निम्नवत है–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	राज्य सरकार शर्त संख्या 03 एवं 5 के जवाब में वचनबद्धता (Undertakings) की मूल हार्ड प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	शर्त संख्या 3 में एन0पी0वी0 एवं शर्त संख्या 5 में Strip Plantation की वचबद्धता के प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न1– वचनबद्धता के प्रमाण पत्र 4–4 मूल प्रति में।
2	बिन्दु संख्या 06 के जवाब में राज्य सरकार द्वारा NPV calculation Sheet में रूपये 2,10,240.00 धनराशि प्रेषित की गई है परन्तु कैम्पा कोष में रू0 2,27400.00 की धनराशि जमा की गई है। अतः राज्य सरकार संशोधित NPV Calculation Sheet की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	NPV Calculation Sheet आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या 4873/12–1 गोपेश्वर दिनांक 23.6.2018 द्वारा जारी की गयी है। जिसकी मूल प्रति अपने स्तर से अग्रसारित करने की कृपा करें।
3	बिन्दु संख्या 07 के जवाब में राज्य सरकार द्वारा वनाधिकार प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रेषित की गई है। अतः राज्य सरकार वनाधिकार प्रमाण पत्र की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	वनाधिकार प्रमाण पत्र मूल में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1053/1सी0 वन दिनांक 21.7.2017 द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रति के साथ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित किये गये थे। जिस कारण वनाधिकार प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रेषित की गयी है। **संलग्न 2– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।**
4	बिन्दु संख्या 08 के जवाब में राज्य सरकार द्वारा 370 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गई है।	370 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना आपके स्तर से प्रेषित की जानी है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
22-12-21

शर्त संख्या 03

परियोजना का नाम– **राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बौला से श्रीकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.320 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

<u>शर्त संख्या 05</u>

परियोजना का नाम– राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बौला से श्रीकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.320 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दानो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 4873 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 27 जून 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो.नि0वि0,
गौचर।

पत्र सं 926
फाईल सं0 – 1097
दि0क – 25/06/18

विषयः– प्रस्तावित बौला से श्रीकोट मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित धनराशि एवं एन.पी0वी0 की धनराशि निम्नॉनुसार जमा की जानी है।

क्र0सं0	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(हे0 में)	दर प्रति हे0	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	370 वृक्षों का रोपण	1100.00	407000.00
2	एन0पी0वी0 (घनत्व 0.4)	0.32	845000.00	270400.00

अतः भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

LAC
AE(K) for Necessary Action

EE
27/06/018

विशेष वाहक द्वारा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No.: 01363-240614
Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक– 1053 /1 सी0 (वन)
दिनांक 21/7 /2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय:– प्रस्ताव सं0 **FP/UK/ROAD/10583/2015** बोला से श्रीकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.280 है वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे0, कुल 0.320 हे0 लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:– आपका E.D.S दि0 17.07.2017 एवं उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग का E.D.S. दि0 20.07.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्रो के अनुपालन मे भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियो का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या प्रेषित की जा रही है।

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	State Govt. was requested to submit the hard copy of the proposal containing original documents vide offline letter dated 01.11.2016 but no action has been taken so far. State Govt. may submit hard copy of the proposal containing original/attested photocopies of the documents except FRA certificate, enumeration list & Part- III, IV & V which are required in original copies.	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रस्ताव की मूल प्रति आपको प्रेषित की जा रही है। संलग्न– प्रस्ताव 3 नं0
2	In reply to point no.2 of EDS dated 21-10-2016, it is mentioned that the district profile details has been filed up in para-14 of online part-II by DFO. but data uploaded now is different from the data uploaded in the past and no clarification has been given for change in the data.	इस बिन्दु का उत्तर डी0एफ0ओ0 स्तर से दिया जाना है।
3	It is seen from the component wise breakup uploaded at para-B.2.4 online part I that the 0.04 ha forest land is required for muck dumping but the forest land required for muck dumping has been shown as 0.19 ha in copy of the document showing details of muck dumping sites submitted in reply to point no 2 of EDS dated 09-08-2016 which may be reviewed and corrected, if necessary.	मक डिस्पोजल हेतु 0.040 है0 भूमि ली गयी है। जिसे Detail of muck disposal yards मे प्रदर्शित किया गया है एवं पूर्व मे भी अपलोड किया जा चुका है।

अतः प्रस्ताव की मूल कॉपीयॉ आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

पत्रांक– 1053 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि– उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर को प्रस्ताव की 1 प्रति अभिलेख हेतु।
संलग्न– प्रस्ताव की 1 प्रति।

छायाप्रति सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)